


प/पुनश्च/रीवा/2018/01250

30 33

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खातियर म०प्र० ।



राभावतार लोहार पिता श्री बुद्धी लोहार निवासी ग्राम टिकुरा तहसील मनगवां
जिला रोवा म०प्र० ----- आवेदक ।

बनाम

- 1- मुनिराज पटेल तनय श्री कालू पटेल & सभी निवा सी ग्राम टिकुरा तह०
- 2- गजराम पटेल पिता कालू पटेल & मनगवां जिला रोवा म०प्र० ।
- 3- भू-अर्जन अधिकारी मनगवां जिला रोवा म०प्र०

----- अना० गण ।

अधिम श्री वीरेंद्र सिंह
कोटा देवा / 20-2-18

श्री वीरेंद्र सिंह
राजस्व मण्डल म०प्र०
(कोटा रोवा)

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिम मनगवां
तहसील मनगवां जिला रोवा के प्र०क्र० 25अ6 /
15-16 अन्तरिम आदेश दि० 4-9-17 .

निगरानी अन्तर्गत धारा 51 म०प्र०भू०रा ०सं० ।

आवेदन पत्र वा वृत्त पुनर्स्थापित किए जाने प्रकरण ।
3595 II / 2017. खाति घ दि. 2-2-018
आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 25 & 38 म०प्र०भू०रा ०सं०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(19)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/पुर्नस्थापन/रीवा/भू.रा./2018/1250

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/2/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह पर विचार किया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रकरण क्र. तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3595 पुर्नस्थापित करते हुए उक्त प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य 6/2/19.</p>	